राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 17/2021 अपील

1. किशनलाल पुत्र रतना भील, निवासी– भीलों का झोपड़ा, कंकरोलिया माफी, तहसील कोटडी।
2. राजु पिता मोहन उर्फ मोवन भील, निवासी– पुरावतों का आकोला, तहसील व जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा
2. सांवरा पुत्र नाथु भील, निवासी– पुरावतों का आकोला,
3. भैरू पुत्र नाथु भील उम्र वयस्क, निवासी– पुरावतों का आकोला,
4. मेमा पुत्री नाथु भील उम्र वयस्क, निवासी– पुरावतों का आकोला,
5. जानी उर्फ जाना पत्नी नाथु भील, निवासी– पुरावतों का आकोला, तहसील व जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं आदेश तहसीलदार, भीलवाड़ा नामान्तरण संख्या 1660 दिनांक 12.07.2019 को अपास्त कराये जाने बाबत।

अपील अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित –

1. श्री नानूलाल तेली अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 05 बावजूद सूचना अनुपस्थित – एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 13.09.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 135(2) विरूद्ध तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 1660 दिनांक 12.07.2019 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आकोला, पटवार हल्का सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 587 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा स्थित हैं, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 व अन्य रामेश्वर पुत्र नाथु भील, गौरी रूकमा व उगमी भील को विरासतन प्राप्त हुई। उक्त आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 व रामेश्वर का 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा गौरी, रूकमा, उगमी, रामेश्वर,सांवरा, भैरू, मेमा, जानी भील का था। उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 व रामेश्वर, गौरी, रूकमा, उगमी के संयुक्त परिवार की संयुक्त शामलाती आराजी होकर पुश्तैनी आराजी हैं जो उन्हें विरासत से प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 व रामेश्वर भील को रुपयों की आवश्यकता होने से उन्होने अपने पिता नाथु भील की विरासत से प्राप्त सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 17.06.2008 को अपीलाण्ट संख्या 1 को विक्रय कर आधिपत्य सुपुर्द कर दिया। शेष 1/2 हिस्सा लादु भील

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी सभी विक्रेताओं को विरासतन प्राप्त हुई तथा आराजी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति रही हैं। हिन्दु अप्राप्तव्यता और संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 12 के अनुसार जहां सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति हैं व पुश्तैनी तौर प्राप्त हुई हैं ऐसे मामलों में अवयस्क की ओर से उसका प्राकृतिक संरक्षक बिना न्यायालय की अनुमति के अवयस्क का हिस्सा विक्रय कर सकता हैं तथा ऐसे मामलों में न्यायालय की अनुमति आवश्यक नही होती हैं। निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 03.04.2017 को व उक्त निर्णय व आदेश के अनुसरण मे खोले गये नामान्तरण संख्या 1660 दिनांक 12.07.2019 को अपास्त फरमाया जावे तथा विक्रयपत्र दिनांक 17.06.2008 व 29.10.2010 के आधार पर उक्त आराजी का सम्पूर्ण तौर अपीलाण्ट संख्या 1 के नाम आधा हिस्सा व अपीलाण्ट संख्या 2 के नाम आधा हिस्सा दर्ज कराये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे। अपीलार्थी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त ऑल एम आर 2000 (2) पेज नं. 331 श्रीमती संध्या राजन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 12 पेश किये हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय विलेख की छायाप्रति दिनांक 17.06.2008 का अवलोकन करने से यह सिद्व होता हैं कि वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से लगायत 05 द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख से दिनांक 17.06.2008 को अपीलार्थी किशनलाल पिता रतना भील को विक्रय कर दिया गया। विक्रयपत्र दिनांक 17.06.2008 के आधार पर नामान्तरण अपीलाण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज नही होने से उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 एवं रामेश्वर, गौरी, रूकमा, उगमी का नाम दर्ज होने से, उक्त सम्पूर्ण आराजियात का उक्त खातेदारान के द्वारा अपीलाण्ट संख्या 2 के पक्ष मे विक्रयपत्र दिनांक 29.10.2010 पंजीकृत हो गया। यानि की रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 व रामेश्वर द्वारा पूर्व मे बेचा गया हिस्सा भी उक्त प्रकार से पुनः विक्रय होना विक्रयपत्र दिनांक 29.10.2010 मे अंकित हो गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विक्रय विलेखों का गंभीरतापूवर्क परीक्षण किये बिना ही एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के सभी पक्षकारों को पक्षकार नही बनाकर, बिना सुनवायी किये ही प्रश्नगत आराजी का नामान्तरकरण संख्या 1660 दिनांक 12.07.2019 को पारित किया गया जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने उनके प्रकरण संख्या 02/2012 निर्णय दिनांक 03.04.2017 में आदेश का आधार यह बताया कि विक्रयपत्र दिनांक 17.06.2008 व विक्रयपत्र दिनांक 29.10.2010 मे तत्समय विक्रेता सांवरा, भैरू व मेमा नाबालिग थे तथा उनकी ओर से उनका हिस्सा विक्रय करने हेतु उनकी माता श्रीमती जानी उर्फ जाना पत्नी नाथु भील ने सक्षम न्यायालय से हिन्दु अप्राप्तव्यता और संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त नहीं की है।

जबकि उक्त अधिनियम का प्रावधान हस्तगत प्रकरण की आराजी

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के विक्रय के संबंध में लागु नही होते हैं, क्योंकि उक्त आराजी सभी विक्रेताओं को विरासतन प्राप्त हुई तथा आराजी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति रही हैं। हिन्दु अप्राप्तव्यता और संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 12 के अनुसार जहां सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति हैं व पुश्तैनी तौर प्राप्त हुई हैं ऐसे मामलों में अवयस्क की ओर से उसका प्राकृतिक संरक्षक बिना न्यायालय की अनुमति के अवयस्क का हिस्सा विक्रय कर सकता हैं। तथा ऐसे मामलों में न्यायालय की अनुमति आवश्यक नही होती हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त यहां पर लागू होते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को इस आधार पर रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त ठहरता हैं कि प्रकरण में ग्राम आकोला पटवार हल्का सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 587 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर केतागण किशनलाल पुत्र रतना भील व राजू पुत्र मोहन भील को दिनांक 17.06.2008 व 29.10.2010 को जो विक्रय किया गया हैं, उक्त रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों की सम्पूर्ण जांच परीक्षण कर, पक्षकारों की सुनवायी की जाकर, प्रश्नगत आराजी का हिस्सा केताग्रण के नाम राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दर्ज करने की कार्यवाही कर प्रकरण में अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के तहत अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं। प्रकरण रिमाण्ड कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 1660 दिनांकित 12.07.2019 को अपास्त किया जाकर, तहसीलदार भीलवाडा को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में ग्राम आकोला पटवार हल्का सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 587 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर केतागण किशनलाल पुत्र रतना भील व राजू पुत्र मोहन भील को दिनांक 17.06.2008 व 29.10.2010 को जो विक्रय किया गया हैं, उक्त रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों की सम्पूर्ण जांच परीक्षण कर, पक्षकारों की सुनवायी की जाकर, प्रश्नगत आराजी का हिस्सा केताग्रण के नाम राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दर्ज करने की कार्यवाही इस न्यायालय के निर्णय दिनांक से 02 माह में की जाकर प्रकरण में अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा